



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2014/फाल्गुन 1, 1935

No. 407]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2014/PHALGUNA 1, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2014

का.आ. 485(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्: —

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	खंड की लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
10	हिसार — डबवाली हरियाणा/पंजाब सीमा खंड (हरियाणा राज्य में)	किमी 170.000 से 315.550

[फा.सं. एनएच-14013/6/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश ,उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2014

S.O. 485(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely: —

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
10	Hisar-Dabwali (Haryana/Punjab Border) Section. (in the State of Haryana)	From km.170.000 to km. 315.550

[F. No. NH-14013/6/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2014

का.आ. 486(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

तालिका

1	2	3
*8.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 21ए, सं. 22 [किमी 5.735 से किमी 10.890 और किमी 40.000 से किमी 62.200 (पंजाब/हरियाणा सीमा-हरियाणा/हिमाचल प्रदेश सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 64, रारा सं. 65, [किमी 5.000 से किमी 241.580 (अंबाला - कैथल - नरवाना - हिसार - हरियाणा/राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 71 [किमी 239.00 से किमी 450.800 (पंजाब/हरियाणा सीमा - जींद - रोहतक - बावल) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 71ए [किमी 0.000 से किमी 80.858 (रोहतक-पानीपत) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 709 विस्तार [(रारा-9 (नई सं.) पर रोहतक से भिवानी, लोहानी, लोहारू को जोड़ने वाला), रारा सं. 71बी, रारा सं. 72, रारा सं. 73 [किमी 71.640 से किमी 179.285 (उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा - यमुनानगर - साहा - बरवाला - पंचकूला) तक खंड को छोड़कर] और रारा सं. 73ए के उतने भाग जो हरियाणा राज्य में अवस्थित हैं।	हरियाणा राज्य सरकार।

[फा.सं. एनएच-14013/6/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 3491 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2014

S.O. 486(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

TABLE

(1)	(2)	(3)
“8	So much of National Highways No. 21A, No.22 [excluding from Km. 5.735 to Km. 10.890 and from Km. 40.000 to km. 62.200 (Punjab/Haryana Border-Haryana/Himachal Border)], No.64, No.65 [excluding from km. 5.000 to km 241.580 (Ambala-Kaithal-Narwana-Hissar-Haryana/Rajasthan Border)], No.71 [excluding from km.239.00 to km. 450.800 (Punjab/Haryana border-Jind-Rohtak-Bawal section)], No. 71A [excluding from km.0.000 to km.80.858 (Rohtak-Panipat), extension of new No. NH 709 (from Rohtak on NH-9 (new number) connecting Bhiwani, Lohani, Loharu), No. 71B, No.72, No.73 [excluding From km.71.640 to km.179.285 (Uttar Pradesh/Haryana Border-Yamunanagar-Saha-Barwala-Panchkula)] and No. 73A as are situated within the State of Haryana.	State Government of Haryana.”

[F. No. NH-14013/6/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot note:—The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 3491 (E), dated the 26th November, 2013.